

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक.....1236.....राँची/दिनांक 23.07.15
01/उ0वि0/स्था0-10/2001 (खण्ड)

प्रेषक,

श्री रोबिन टोप्पो,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
विभागाध्यक्ष (संलग्न तालिकानुसार)

विषय: विभागीय-क्रय-समिति में उद्योग विभाग के प्रतिनिधि-पदाधिकारी के मनोनयन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार विभागीय पत्रांक-956 दिनांक 30.07.2014 के द्वारा निर्गत आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए निम्नांकित रूप से विभिन्न विभागों के क्रय समिति के लिए उद्योग विभाग के पदाधिकारियों को नामित किया जाता है :-

क्र० सं०	उद्योग विभाग, झारखण्ड राँची के अधीन पदस्थापित पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं कार्यालय का पता/मोबाईल नंबर।	विभाग/निदेशालय/कार्यालय का नाम
1.	श्री प्रेम कुमार चौधरी, उप उद्योग निदेशक (9431701956)	1. गृह विभाग/कारा महानिरीक्षक/महानिदेशक, पुलिस/ महानिदेशक, सैन्य पुलिस, पुलिस महानिदेशक, अभियोजन/महानिरीक्षक, प्रशिक्षण/ निगरानी/ निगरानी ब्यूरो/ महानिदेशक निगरानी/ लोकायुक्त/नागरिक सुरक्षा निदेशालय/सैनिक कल्याण निदेशालय। 2. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालय। 3. राज्य निर्वाचन आयोग। 4. नागर विमानन विभाग। 5. मंत्रिमंडल निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। 6. झारखण्ड पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा।
2.	श्री राम शंकर राय, अवर सचिव (9431394807)	1. कल्याण/समाज कल्याण विभाग/निदेशक, कल्याण/ आदिवासी कल्याण आयुक्त/ निदेशक, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य निशक्तता का कार्यालय/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातिय आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/महिला आयोग। 2. निबंधक सहयोग समितियां/सहकारिता विभाग। 3. सूचना एवं जन संपर्क विभाग, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्सद, मुख्य मंत्री सचिवालय। 4. जैप0आई0टी।
3.	श्रीमती अगस्ता सोरेंग अवर सचिव (9931633925)	1. जल संसाधन विभाग/भूगर्भ जल निदेशालय। 2. कृषि विभाग/कृषि मार्केटिंग बोर्ड। 3. कृषि निदेशालय/भू-संरक्षण।

4.	श्री माधव शरण सिंह, उप निदेशक (9431100009)	1. योजना एवं विकास विभाग। 2. भू-राजस्व, निबंधन एवं उत्पाद विभाग। 3. राजस्व पर्षद/अर्थ एवं साख्यकी निदेशालय।
5.	श्री बी0एम0एल0दास कर्ण, उप उद्योग निदेशक (9334744392)	1. ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज निदेशालय/सर्ड, राँची/ संबंधित निदेशालय एवं अन्य यूनिट। 2. मानव संसाधन विकास विभाग/ निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/झारखण्ड शिक्षा परियोजना/झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल/झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण।
6.	श्री राजेन्द्र प्रसाद, परियोजना प्रबंधक (9470518897)	1. उर्जा विभाग/ झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड/जेडा। 2. झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग। 3. वित्त विभाग एवं निदेशक, भविष्य निधि/झारखण्ड राज्य वित्त आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग। 4. वाणिज्यकर विभाग एवं न्यायाधिकरण। 5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग। 6. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। 7. राज्य सूचना आयोग। 8. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा इस विभाग के अन्य राज्य स्तरीय कार्यालय/झारखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग।
7.	श्री राकेश कुमार, अवर सचिव (9431173203)	1. रिम्स रिनपास। 2. श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान। 3. परिवहन विभाग (परिवहन आयुक्त सहित)/कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य। 4. राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण। 5. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग। 6. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। 7. पर्यटन विभाग, पर्यटन निदेशालय।
8.	श्री सुरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव (9334709691)	1. आपदा प्रबंधन विभाग/विधि विभाग। 2. राज्य विधि आयोग/राज्य विधिक सेवा प्राधिकार।
9.	श्रीमती संगीता तिकी, अवर सचिव (9431793792)	1. वन एवं पर्यावरण विभाग/प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद।
10.	श्री लियो मिंज, अवर सचिव (9431576777)	1. नगर विकास विभाग, सांस्थिक वित्त विभाग।
11.	श्री युगेश्वर पासवान, अवर सचिव (9431734344)	1. पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग। 2. स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग/निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा सम्बद्ध कार्यालय। 3. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग/श्रमायुक्त कार्यालय/ग्रामीण कार्य विभाग। 4. खनन एवं भूतत्व विभाग/निदेशक, खान/निदेशक भूतत्व। 5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।

2. निदेशक, उद्योग एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर नामित पदाधिकारियों को झारखण्ड उद्योग नीति एवं क्रय नीति से अवगत करा देंगे। समय-समय पर MSME Act, GoI के निर्देश तथा राज्य सरकार की नीति से अवगत कराया जाय।

अनुरोध है कि अपने विभाग/निदेशालय/कार्यालय की क्रय-समिति की बैठक की तिथि/स्थान/समय की सूचना उद्योग विभाग के संबंधित पदाधिकारी को उनके कार्यालय के पते पर देना चाहेंगे। साथ ही अपने अधीनस्थ राज्य-स्तरीय कार्यालयों को इस पत्र की एक एक प्रति भेजते हुए निदेशित करना चाहेंगे।

यह मनोनयन तत्कालिक-प्रभावी होगा।

3. (i) संबंधित विभाग सीधे नामित पदाधिकारी को सूचना दें तथा समन्वय कर लें एवं जहां आवश्यक हो परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध करा दें। अनावश्यक रूप से विभाग/निदेशालय को पत्र की कंडिका (4) को छोड़कर पत्राचार नहीं करेंगे।
- (ii) बैठक की सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व दी जाय तथा Tender notice को समाचार पत्रों में/ e-Tender में प्रकाशित सूचना की प्रति भी रख दें।
- (iii) प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने तथा सुझावों को कार्यवाही में शामिल अवश्य किया जाय। निर्णय समिति का होगा।
4. किसी पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने पर संबंधित विभाग निदेशक, उद्योग को सूचना देगा। निदेशक, उद्योग प्रतिस्थानी को नामित कर सकेंगे।
5. वैसे संस्थान, जो इस आदेश से अनाच्छादित हैं, के लिये इस के प्रशासी विभाग के लिये नामित पदाधिकारी ही दायित्व का निर्वहन करेंगे।
6. निदेशक, उद्योग नियमित रूप से त्रैमासिक (Quarterly) समीक्षा करें ताकि स्थिति की जानकारी हो एवं झारखण्ड के उद्योगों को आवंटित क्रयादेश को संकलित किया जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक.....1236.....राँची/दिनांक 23. 07. 15

01/उ0वि0/स्था0-10/2001(खण्ड)

- प्रतिलिपि: 1. सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सचिव कोषांग, उद्योग विभाग/विशेष सचिव कोषांग/उप सचिव कोषांग, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची के सभी संबंधित पदाधिकारीगण/महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र/राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची।
2. उद्योग निदेशक, झारखण्ड, राँची/निदेशक, ह0रे0ह0 निदेशालय, झारखण्ड, राँची।
3. सभी प्रशाखा पदाधिकारी, सभी अवर सचिव, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशालय, उप सचिव, सभी संबंधित विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव